



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 64909

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1218/2026

एबी नाबालिग

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दिलीप कुमार, पवन कुमार

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति पी.के.गिरि

कार्यालय ने सूचित किया है कि संबंधित मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के निर्देशानुसार विपक्षी पक्ष संख्या 2 को नोटिस तामील कराया जा चुका है, लेकिन पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ता के वकील और राज्य के ए.जी.ए की बात सुनी गई और अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन किया गया।

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका बिजनौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉस्को) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 146/2025 (नाबालिग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 12.01.2026 को पारित आदेश और बिजनौर के किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो कि वाद संख्या 219/2024 (धारा 147, 148, 302, 34, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत), थाना नेहतौर, जिला बिजनौर से संबंधित है।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) यह स्वीकार किया जाता है कि कथित घटना की तिथि पर आवेदक लगभग 13 वर्ष, 11 महीने और 22 दिन का नाबालिग था; वह 13.10.2025 से जेल में है;

(ii) आवेदक निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

(iii) डी.पी.ओ. की रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियों के अलावा कोई विशिष्ट या मजबूत आपत्ति नहीं उठाई गई है;

(iv) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है;

(v) मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है;

(vi) आवेदक के सह-आरोपी (जो बालिग हैं) को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2025, 11.11.2025, 27.06.2025 और 14.05.2025 के आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जो आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 40636/2025 (मोहम्मद तालिब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य); आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 39238/2025 (फरमान उर्फ गंगा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य); आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21252/2025 (असद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) और जमानत आवेदन संख्या 12380/2025 (वसीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), क्रमशः के मामलों जमानत दी जा चुकी है।

(vii) याचिकाकर्ता अनुचित रूप से लंबे समय तक बाल अवलोकन गृह में नजरबंद रहा है;

(viii) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 12 के तहत आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

(ix) इसलिए, आक्षेपित आदेशों को त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत मानते हुए चुनौती दी गई है।

राज्य के विद्वान एजीए द्वारा ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का पुरजोर विरोध किया। उनका निवेदन है कि बताई गई घटना सत्य है और यह कहना गलत है कि आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और/या प्रेरित हैं। साथ ही, जमानत अस्वीकृति आदेशों में दर्ज निष्कर्षों का हवाला देते हुए यह निवेदन किया गया है कि इस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह निर्विवाद है कि आवेदक नाबालिग है और अधिनियम के प्रावधानों का लाभ पाने का हकदार है। अधिनियम की धारा 12 के तहत, किसी नाबालिग की जमानत याचिका को अस्वीकार किया जा सकता है, 'यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि नाबालिग की रिहाई से उसका किसी ज्ञात अपराधी के साथ संपर्क होने की संभावना है या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल दिया जाएगा या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी'।

न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या अपील न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेशों में दर्ज राय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अधिनियम की धारा 12 में तीन ऐसी स्थितियां बताई गई हैं जिनमें किसी नाबालिग अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। ये इस प्रकार हैं:-

- (i) क्या रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने की संभावना है, या
- (ii) क्या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है, या
- (iii) क्या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी?

इस प्रकार, यह लगभग निर्विवाद है कि आवेदक घटना की तिथि पर नाबालिग था; डीपीओ के अवलोकन के आलोक में, वह आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त प्रतीत नहीं होता; उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; वह अनुचित रूप से लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी ऐसा कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो इस स्तर पर आवेदक को जमानत देने से अयोग्य ठहरा सके। आवेदक की बहन अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं को दूर करने का वचन देती है, जो आवेदक की रिहाई पर उसकी सुरक्षा और भलाई से संबंधित हैं।

उपरोक्त के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जमानत देने के उद्देश्य से कानून के स्थापित सिद्धांत के विपरीत हैं और त्रुटिपूर्ण तथा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध हैं। फलस्वरूप, वे आदेश मान्य नहीं हो सकते। आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता एबी (नाबालिग), वसीम का पुत्र, जो अपनी प्राकृतिक अभिभावक किश्वर (बहन) के माध्यम से उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोजित है, को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा;
- (ii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से यह वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है;
- (iii) याचिकाकर्ता अपने अभिभावक के माध्यम से प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, निचली अदालत उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए एवं बीएनएसएस की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकती है।

रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के भीतर संबंधित बाल अवलोकन गृह को आदेश की सूचना दे।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

28 मार्च, 2026

बृजेश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।